27-5-25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण तथा श्रीमान द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. मय अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 27.6.25 को पेश हो।

27/6/25

वकील श्री विजेन्द्र जी ने आ०प०क्र० 1 लगायत 4, 6, 8, 9 की तरफ से मूल प्रा०पत्र प्रस्तुत पेश किया। वकील अन्य पक्ष ने बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली आयन्दा दि० 4/7/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

4/7/25
पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली मय आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 8/8/25 को पेश हो।

14/7/25

वकील अन्य पक्ष अप०/ वकील प्रार्थी ने अपने पक्ष में बहस पेश करते हुये निवेदन किया कि दिनांक 05.07.2022 व 10.08.2022 को प्रकरण नं. 24/2022 अप्रार्थी चिरंजीलाल बनाम पुष्पा देवी में पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त किया जावे। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

निर्णय—

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा० पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा० पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किये।

उक्त प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे विद्वान वकीलान उभय पक्षगण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

उक्त प्रा० पत्र 09 R 13, 151 CPC का मुकदमा नं. 22/2022 अप्रार्थी विरूद्ध बनाम कुंजी देवी अ० धारा 25 । (B) RTA मे दिनांक 5/7/2022 को पारित एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध पेश किया गया है व प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी पत्रावली से 22/7/2022 को होना कहता है। उक्त मु०नं० 22/2022 अ० धारा 25 । (B) RTA एक समरी ट्रायल है। आदेश 09 R 13, 151 CPC एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पर लागू होता है। मामले के सम्बन्ध मे अपीलीय न्यायालय मे भी निर्णय के विरुद्ध अपील जारी है। और जब अपीलीय न्यायालय मे कार्यवाही चल रही है तो समानान्तर कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नही है।

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
प्रार्थी पक्ष द्वारा भी तामील नहीं होना या प्रकरण की जानकारी नहीं होना न्यायालय के समक्ष साबित करने में असमर्थ रहा है। वैसे भी मामले में अन्तिम विनिश्चय हो जाने पर आदेश पारित होने के उपरान्त केवल अपील का प्रावधान है। इसलिये आदेश 09 नियम 13 cpc के प्रावधान प्रा० पत्र 251 (क) के आदेश पर लागू नहीं होते हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रा. पत्र 09 R13 cpc, 151 cpc का पोषणीय व न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो अमल [illegible] हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश दि० 14.07.25 को खुले न्याया० सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी	